



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229165
CG-DL-E-19082021-229165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3158]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943

No. 3158]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SHARAVANA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

का.आ. 3411(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 की अनुसूची 1 की सारणी में,-

(i) क्र. सं. एफ. 2.1 के सामने प्रविष्टि (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ग) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम अथवा समनुषंगी वाले निजी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श से, यह सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक को संबोधित किया जा सकेगा कि क्र. सं. एफ. 8.1 और एफ. 8.2 में यथा-विनिर्दिष्ट बीमा क्षेत्र के लिए लागू विदेशी विनिधान की सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है।";

(ii) क्र. सं. एफ. 8.1 के सामने, स्तंभ (3) में, “क्षेत्रीय सीमा” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"74%"

(iii) "अन्य शर्तें" उप-शीर्षक के अंतर्गत क्र. सं. एफ. 8.3 के सामने, स्तंभ (2) में, “अन्य शर्तें” उपशीर्षक के अधीन –

(क) खंड (क) में "उनचास" शब्दों के स्थान पर "चौहत्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में "उनचास" शब्दों के स्थान पर "चौहत्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) (I) विदेशी विनिधान वाली किसी भारतीय बीमा कंपनी में,-

(i) इसके निदेशकों का बहुमत;

(ii) इसके प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का बहुमत; और

(iii) इसके बोर्ड के अध्यक्ष, इसके प्रबंध निदेशक और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम-से-कम एक अधिकारी,

निवासी भारतीय नागरिक होगा।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, "मुख्य प्रबंधन व्यक्ति" पद का वही अर्थ होगा जो भारत में बीमाकर्ताओं के लिए कॉरपोरेट शासन पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में इसका है।

(II) विदेशी विनिधान वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 के अधीन उपबंधों और समय-समय पर, वित्तीय सेवाएं विभाग अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करेगी।";

(घ) खंड (ङ) में, "2014" अंकों के स्थान पर "2019" अंक रखे जाएंगे।

(ङ) खंड (छ) में, "उपर्युक्त खंड (घ) में विनिर्दिष्ट" शब्दों से आरंभ होने वाले और "प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का संयोजन" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के निदेशक बोर्ड और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का संयोजन";

(च) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ट) "इक्विटी शेयर पूंजी", "विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान" (एफडीआई), "विदेशी निवेशक", "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान", "भारतीय बीमा कंपनी", "भारतीय कंपनी", 'अनिवासी अस्तित्व', 'लोक वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी विनिधान' पदों का वही अर्थ होगा जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 115(अ) तारीख 19 फरवरी, 2015 और समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों में यथा उपबंधित है।"

[फा. सं. 01/05/ईएम/2019 भाग-II]

आनन्द मोहन बजाज, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 3732(अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए और इसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए:-

- (i) का.आ. 4355(अ) तारीख 05 दिसम्बर, 2019,
- (ii) का.आ. 1278(अ) तारीख 22 अप्रैल, 2020,
- (iii) का.आ. 1374(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2020,
- (iv) का.आ. 2442(अ) तारीख 27 जुलाई, 2020,
- (v) का.आ. 4441(अ) तारीख 08 दिसम्बर, 2020,
- (vi) का.आ. 3206(अ) तारीख 09 अगस्त, 2021.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2021

S.O. 3411(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules 2019, in Schedule 1, in the Table,-

(i) against Sl. No. F. 2.1, for entry (c), the following entry shall be substituted, namely:-

“(c) Applications for foreign direct investment in private banks having joint venture or subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in order to ensure that the limit of foreign investment applicable for the insurance sector as specified in serial number F. 8.1 and F. 8.2 is not breached.”;

(ii) against Sl. No. F. 8.1, in column (3), under the heading “Sectoral Cap,” for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“74%”

(iii) against Sl. No. F. 8.3, in column (2), under the sub-heading “Other conditions,”-

(A) in clause (a), for the words “forty nine,” the word “seventy-four” shall be substituted;

(B) in clause (b), for the words “forty nine,” the word “seventy-four” shall be substituted;

(C) for clause (d), the following clause shall be substituted namely :-

“(d) (I) In an Indian Insurance Company having foreign investment,-

(i) a majority of its directors;

(ii) a majority of its Key Management Persons; and

(iii) at least one among the Chairperson of its Board, its Managing Director and its Chief Executive Officer,

shall be Resident Indian Citizens.

Explanation: For the above purposes, the expression- “Key Management Person” shall have the same meaning as assigned to it in guidelines made by the Insurance Regulatory and Development Authority of India on corporate governance for insurers in India.

(II) An Indian Insurance company having foreign investment shall comply with the provisions under the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, as amended from time to time and applicable rules and regulations notified by the Department of Financial Services or the Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time.”;

(D) in clause (e), for the figures “2014,” the figures “2019” shall be substituted;

(E) in clause (g), for the portion beginning with the words “the condition of India owned and controlled,” and ending with the words “key management persons,” the following shall be substituted namely :-

“the composition of the Board of Directors and key management persons of Intermediaries or Insurance Intermediaries”;

(F) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely :-

“(k) Terms ‘Equity Share Capital,’ ‘Foreign Direct Investment’ (FDI), ‘Foreign Investors,’ ‘Foreign Portfolio Investment,’ ‘Indian Insurance Company,’ ‘Indian Company,’ ‘Non-resident Entity,’ ‘Public Financial Institution,’ ‘Resident Indian Citizen,’ ‘Total Foreign Investment’ shall have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115 (E), dated the 19th February, 2015 issued by Department of Financial Services and regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time.”.

[F. No. 01/05/EM/2019 Pt. II]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3732(E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* notification numbers:-

- (i) S.O. 4355(E), dated the 5th December 2019,
- (ii) S.O. 1278(E), dated the 22nd April, 2020,
- (iii) S.O. 1374(E), dated the 27th April, 2020,
- (iv) S.O. 2442(E), dated the 27th July, 2020,
- (v) S.O. 4441(E), dated the 8th December, 2020,
- (vi) S.O. 3206(E), dated the 9th August, 2021.